न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2013/00262 (1/2013) 75 एलआरएक्ट

1. भादरराम पुत्र केशराराम जाति जाट सा0 कनवानी त0 रावतसर जि0 हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र बर्स्तीराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. लिछमा देवी पत्नी स्व साजनराम जाति जाट सा0 कनवानी तहसील रावतसर
3. पृथ्वीराज
4. कृष्णलाल
5. ताराचन्द

पि0 साजनराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर

6. शान्ति पुत्री साजनराम पत्नी मंगतुराम जाति जाट सा0 चक 7 केएम तहसील रावतसर
7. निराणी पुत्री साजनराम पत्नी हनुमान जाति जाट सा0 चाईया तहसील रावतसर
8. गोम्मी पुत्री साजनराम पत्नी भागीरथ जाति जाट सा0 हरदासवाली तहसील रावतसर
9. चन्दो देवी पुत्री साजनराम पत्नी भागीरथ जाति जाट सा0 हरदासवाली तहसील रावतसर।
10. परमा देवी पुत्री पुराराम पत्नी रामकुमार जाति साकिन लाखासर, नोहर जिला हनुमानगढ
11. गुड्डी पुत्री पुराराम पत्नी औमप्रकाश जाति जाट साकिन निठाना, भादरा जिला हनुमानगढ।
12. इन्द्रा पुत्री पुराराम पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन डूमासर तहसील नोहर।
13. सन्तो पत्नी स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर।
14. माया
15. शारदा

पि0 कालूराम जाति जाट निवासी कनवानी नाबलिग जरिये कुदरती वली माता सन्तो

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

16. मोनिका } पि0 कालूराम जाति जाट निवासी कनवानी नाबालिग जरिये
17. सेनिका } कुंदरती वली माता सन्तो

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर । –रेस्पोडेण्ट्स

विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2012 उपपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0 सं0 44/2009 शीर्षक रामप्रताप बनाम भादरराम

उपस्थितः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांकः– 23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भादरराम ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 में प्रस्तुत करते हुए कथन किया चक नं. 12 बी.पी.एम. के प. नं. 204/411 के किला नं. 21, 22, 23, 24 25 प्रत्येक में .026 है0 दक्षिणी पास पर पूर्व से पश्चिमी लम्बा मंजूरशुदा रास्ता था लेकिन उक्त रास्ता की भूमि को गलत रूप से गैरसालान ने 1 व 10 व मृतक पुराराम व साजनराम ने अपने नाम दर्ज करवा लिया उक्त भूमि रास्ता की भूमि थी जिन्हें खातेदारी दर्ज करवाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, जिसे पुनः रास्ता दर्ज किया जाने का अनुतोष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मांगा। अप्रार्थीगण सं0 1, 3 ता 5, 13 ता 18 ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन कियाकि प्रश्नगत आराजी गैर सायल संख्या 1 ता 17 की नाम की संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें रास्ता स्वीकृत किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त भूमि में कभी भी रास्ता के रूप में नहीं रही। कभी रास्ता नहीं चला और न ही रास्ता वर्तमान में अब चल रहा है। प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थीगण की फसल खड़ी है यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण की फसल नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता है जिसके माध्यम से वह अपने खेत में आवागमन करता है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की स्वयं की 1955 की कब्जा काश्त होने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा 15एएए के तहत खातेदारी प्रदान कर नायब तहसीलदार रावतसर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मौका पर रास्ता न होने का स्पष्ट अंकन है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच किये अपीलाण्ट की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया जो काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट संख्या 2 गंगाराम पुत्र लिछमण राम विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 18 के रूप में पक्षकार थे। अपीलाण्ट के पिता गंगाराम की मृत्यु प्रार्थना–पत्र लम्बित रहते ही हो चुकी थी व इसकी सूचना भी न्यायालय को दे दी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गंगाराम के वारिसों को पक्षकार बनाये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में चाहे गये अनुतोष से अलग निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायलाय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने यह अनुतोष चाहा था कि चक 12 बीपीएम के प. नं. 204/211 के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में केवल मात्र यह अंकन किया गया कि पर्चा खतौनी में रास्ता दर्ज था इसलिए वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी में रास्ता किस आधार पर दर्ज किया गया था व वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज क्यों नहीं है इस तथ्य की जांच नहीं की गई। विचारण न्यायायल के समक्ष शर्त संख्या 8 (2) राज. उपनिवेशन सामान्य शर्तें के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें केवल मात्र रास्ता मंजूर या निरस्त किया जा सकता है, परन्तु

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ नयायला ने रास्ता स्वीकृति के प्रार्थना–पत्र में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का पारित किया गया है जो बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक नं. 12 बी. पी.एम. के प. नं. 204/411 के किला नं. 21, 22, 23, 24 25 प्रत्येक में दक्षिणी पास पर पूर्व से पश्चिमी लम्बा मंजूरशुदा रास्ता था लेकिन उक्त रास्ता की भूमि को गलत रूप से गैरसालान ने 1 व 10 व मृतक पुराराम व साजनराम ने अपने नाम दर्ज करवा लिया उक्त भूमि रास्ता की भूमि थी जिन्हें दर्ज करवाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। बिना किसी दस्तावेज के अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि की खातेदारी दे दी गई। धारा 16 के अन्तर्गत गैरमुमकिन रास्ते की भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती है। हमने पर्चा पर्चा खतौनी पेश की थी जिसमे गैरमुमकिन 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज है। रास्ते की भूमि में रास्ते को केवल मात्र आवेदन पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट यदि यह प्रकरण दुरूस्ती का ही मानता है तो उसे माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष ही अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) पेज 299, आरआरटी 2016 (1) पेज 93 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कॉलोनी) शर्तें 1955 शर्त सं0 8 (2) के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए चक नं. 12 बी.पी.एम. के प. नं. 204/411 के किला नं. 21, 22, 23, 24 25 प्रत्येक में .026 है0 दक्षिणी पास पर पूर्व से पश्चिमी लम्बा मंजूरशुदा रास्ता था लेकिन उक्त रास्ता की भूमि को गलत रूप से गैरसालान ने 1 व 10 व मृतक पुराराम व साजनराम ने अपने नाम दर्ज करवा लिया

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त भूमि रास्ता की भूमि थी जिन्हें दर्ज करवाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, जिसे पुनः रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश देने का अनुतोष चाहा था। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता दर्ज करने के आदेश आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का अपील में यह आक्षेप है कि प्रश्नगत भूमि उनकी 1955 की कब्जा काश्त की होने एवं सक्षम अधिकारी 15एएए के तहत खातेदारी प्रदान करने व मौका पर नायब तहसीलदार रावतसर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मौका पर रास्ता न होने का स्पष्ट अंकन है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये व बिना क्षेत्राधिकार के रास्ता स्वीकृत कर दिया।

7. **विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल पर्चा खतौनी चक 12 बीपीएम से यह प्रमाणित माना है कि गैर मुमकिन रास्ता 2 गट्ठा प. नं. 204/411 के लि नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में 1 बीघा रास्ता दर्ज होना पाया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। जिससे यह स्पष्ट है कि चक 12 बीपीएम प. नं. 204/411 के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा मंजूरशुदा रास्ता दर्ज था। अपीलाण्ट ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उनके नाम से उक्त रास्ता की भूमि किस आदेश से दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। जिसमें कोई विधिक त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।**

8. आरआरटी 2016 (1) में यह अधिनिर्धारित है कि एसडीओ को गैर मुमकिन रास्ता निरस्त करने तथा काश्तकार को आवंटित करने की शक्ति नही है– धारा 16 (vi) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते और ऐसी भूमियों पर किसी आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये है तो वह प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 16 (vi) से प्रतिबन्धित होते हुए भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि (आमजन के प्रयोजनार्थ रास्ते की भूमि) पर खातेदारी दर्ज हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के अधिकार दिये हैं। आरआरटी 2013 (1) पेज 299 में भी यह

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अभिनिर्धारित है कि लम्बे समय से रास्ता उपयोग में नहीं हो तो भी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में वर्गीकृत थी और ऐसा वर्गीकरण आवेदन पर विलोपित नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार विचारण न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल पर्चा खतौनी में रास्ता दर्ज होना पाया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। जिससे यह स्पष्ट है कि चक 12 बीपीएम प. नं. 204/411 के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा मंजूरशुदा रास्ता दर्ज था जो अपीलाण्ट्स के नाम खातेदार दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के जो आदेश दिये हैं वह विधि सम्मत है। अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 18:48:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: